राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 29 सितम्बर, 2000

क्रमांक 1405-ज-2-2000/3767.—श्री गंगा राम, पुत्र श्री सफटर सिंह, निवाही गांव नाचरोन, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (I ए) तथा 3 (I ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2020-ज-2-77/657, दिनांक 6 जनवरी, 1978 द्वारा 150 रु० वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 178-ज-2-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री गंगा राम की दिनांक 3 मार्च, 2000 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री गंगाराम की पत्नी श्रीमती बेगवती के नाम रबी, 2000 से 1000 रुपये प्रति वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 6 अक्तूबर, 2000

क्रमांक 1279-ज-2-2000/10599.—श्री दरयाव सिंह, पुत्र श्री राम नाथ, निवासी गांव फोगाट, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (I ए) तथा 3(I ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1497-ज-I-77/23334 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1787-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री दरयाव सिंह की दिनांक 10 अक्तूबर, 1996 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसाकि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को श्री दरयाव सिंह की पत्नी श्रीमती भुरी देवी के नाम खरीफ, 1996 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1333-ज-2-2000/10632.—श्री बीर सिंह, पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी गांव नाहरा, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1164-ज-1-83/32502, दिनांक 19 अक्तूबर, 1983 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944-ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री बीर सिंह की दिनांक 31 मार्च, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसाकि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को श्री बीर सिंह की पत्नी, श्रीमती मेल कौर के नाम रबी, 1991 से 300 रुपये तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।